RIE DEHRADUN DEVELOPMENT AUTHORITY

248 001 Uttarakhand

MUS

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

पत्रांक 500 / सम्पति / 2021 — दिनांक 06/12/21

विज्ञाप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की आवासीय भूखण्ड / व्यवसायिक भूखण्ड / दुकान / फ्लैट आवंटन के लिए पहले आओ पहले पाओ पद्वति पर पंजीकरण आमंत्रित किये जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति रिक्त भूखण्डों के पंजीकरण फार्म दिनांक 07/12/21 से प्राधिकरण कार्यालय से कार्य दिवस में रू0– 590/– (GSTसहित) जमा करते हुए प्रातः 10.00 से 2.00 बजे तक भूखण्ड की रिक्तता के साथ प्राप्त किये जा सकते हैं। फ्लैटों हेतु आवेदन आई0एस0बी0टी0 कैम्प कार्यालय में किया जायेगा। उक्त जानकारी प्राधिकरण की वेबसाईट mddaonline.in पर उपलब्ध है।

सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून

1:

13-

15-

16- ।

फार्म फीस

MUSSOORIE DEHRADUN DEVELOPMENT AUTHORITY

Transport Nagar, Saharanpur Road, Dehradun. 248 001 Uttarakhand

APPLICATION FORM

Form No

For Registration of Shop/ Plot./Flat First Come First Serve

Self attested passport size photograph of applicant

1- Scheme name: **Transport Nagar Phase-2, I.S.B.T, I.S.B.T Extension, Lohiyapuram and Nehrupuram, And Ajabpurkala Scheme.**

2- Shop/Plots/Flats Scheme Category

3- Shop/Plots/Flats Namber

4- Name Mr/Ms/Messcrs): (First or Joint App):

5- Address for Correspondence:

Pin code

6- Annual Income 7- Age 8-sex

9- Marital Status-

10- Father's/ Husband's Name:

11- Permanent Address:

12- Bank Name, Branch &A/CNo.

13- Pan Card No 14: Mobile No

15- Deposit Amount.........................Rs..................Bank..........

16- Email

Signature of Applicant (s)

फार्म फीस रू0 590/– (जीएसटी सहित)

पहले आओ पहले पाओ के नियम एवं शर्ते।

1. ट्रान्सपोर्ट नगर फेस–2, में रिक्त भूखण्ड 02 दुकान Type-G एवं एल0आई0जी0 रिक्त फ्लैटों की संख्या 112, लोहियापुरम में आवासीय भूखण्ड रिक्त संख्या–01 एवं दुकानें रिक्त संख्या–05, अजबपुरकंला में रिक्त व्यवसायिक भूखण्ड–01 एवं नेहरूपुरम में रिक्त दुकान संख्या–01, आई0एस0बी0टी0 आवासीय योजना में रिक्त फ्लैटों की संख्या 185, आई0एस0बी0टी0 एक्सटेंशन रिक्त फ्लैटों की संख्या–34 का आवंटन पहले आओ पहले पाओ पद्वति के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. यदि उक्त योजना में निम्न तालिका में अंकित विकसित भूखण्ड / दुकान / फ्लैट लेने के इच्छुक हों तो स्थल निरीक्षण कर पहले आओ पहले पाओ के तहत आवेदन कर सकते हैं।
3. पंजीकरण के साथ भूखण्ड / दुकान / फ्लैट की कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि बैंक ड्राफ्ट (कालम 07 में अंकित धनराशि) के रूप में सचिव, एमडीडीए के पक्ष में जमा करानी होगी। विवरण निम्नांनुसार हैः–

क्र0	ट्रॉसपोर्टनगर फेस–2 भूखण्ड दुकानें Type-G	प्लाट एरिया (वर्गमीटर में)	भूखण्ड विकय मूल्य	भूखण्ड कार्नर शुल्क भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत	फीहोल्ड शुल्क (भूमि मूल्य का 10+2= 12 प्रतिशत)	पंजीकरण राशि प्रतिशत / सम	बिकय मूल्य (कालम 4+5+6 का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	37.50	11,41,575 / –	1,14,158 / –	1,36,990 / –	1,15,000 / –	13,92,723 / –
2	02	37.50	11,41,575 / –	–	1,36,990 / –	1,15,000 / –	12,78,564 / –

क्र0	रिक्त सम्पत्ति	आवासीय योजना	एरिया (वर्ग मीटर में)	विकय मूल्य	फ्री–होल्ड शुल्क	पंजीकरण राशि	जी0एस0टी0 12 प्रतिशत अतिरिक्त
01	भूखण्ड सं0 02	लोहियापुरम	211.92	41,36,043 / –	4,96,626 / –	4,13,605 / –	शून्य
02	दुकान सं0 05 से 10 तक कुल दुकानें–05	लोहियापुरम	21.70	18,68,996 / –	12,018 / –	1,87000 / –	शून्य
03	व्यवसायिक भूखण्ड 01	अजबपुरकंला	731.0	1,68,13000 / –	20,17,860 / –	16,81,300 / –	शून्य
04	एल0आई0जी0 कुल रिक्त फ्लैटों की संख्या– 112	ट्रॉसपोर्टनगर फेस–2	42.15	19,90000 / –	22,190 / –	2,00,000 / –	शून्य
05	एच0आई0जी ब्लाक–सी ब्लाक–डी कुल रिक्त फ्लैटों की संख्या–20	आई0एस0बी0टी0	128.95	71,50,000 / –	9,805 / –	7,15,000 / –	शून्य
06	एच0आई0जी0 अन्य ब्लाक कुल रिक्त फ्लैटों की संख्या–165	आई0एस0बी0टी0	128.95	71,50,000 / –	9,805 / –	7,15,000 / –	देय
07	दुकान संख्या–86	नेहरूपुरम कांवली रोड़	12.95	12,72,300 / –	3,3,34 / –	1,27,300 / –	शून्य
08	एम0आई0जी0 में रिक्त फ्लैटों की संख्या–34	आई0एस0बी0टी0 एक्सटेंन्सन ट्रान्सपोर्टनगर	85.22	49,50,000 / –	50,940 / –	4,95,000 / –	देय

4. आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से 03 माह के अन्दर भूखण्ड / दुकान / फ्लैट की अवशेष देय धनराशि के अतिरिक्त कार्नर मूल्य 10 प्रतिशत व भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट व 02 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क उक्त तालिका में अंकित धनराशि के साथ समस्त धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा। 03 माह के अन्दर समस्त देय धनराशि जमा न करने की स्थिति में पंजीकरण धनराशि जब्त कर दी जायेगी।
5. कार्नर के भूखण्ड पर आवंटी का भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरक्त भुगतान करना होगा। एवं भूखण्ड / व्यवसायिक भूखण्ड / दुकान / फ्लैट का पूर्ण भुगतान के उपरान्त भूखण्ड / व्यवसायिक भूखण्ड / दुकान / फ्लैट का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।
6. पंजीकरण आवेदन परिवार के एकल सदस्य अथवा संयुक्त रूप से किया जा सकता है।
7. आवंटी द्वारा केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / विभिन्न अन्य निकायों से सम्बन्धित देय दुकान के कब्जे के उपरान्त निर्धारित प्राविधानों के अनुसार देय सभी करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
8. आवंटी कब्जा जारी होने की तिथि से 06 माह की अवधि में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कन्ट्रोल डिजाईन मानचित्र के अनुसार निर्माण प्रारम्भ करना होगा। यदि 06 माह में निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो भूमि मूल्य के 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर अननिर्माण शुल्क पैनाल्टी के रूप में देय होगा एवं आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
9. प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त आवंटित भूखण्ड का विकय पत्र तभी क्रियान्वित किया जायेगा जब प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर लेगा कि आवंटी द्वारा भूखण्ड पर निर्माण कार्य 01 वर्ष के अन्दर पूर्ण रूप से कर लिया जायेगा।
10. भूखण्ड के कन्ट्रोल डिजाईन मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन मान्य नहीं होगा। आवंटी को आवंटित भूखण्ड को विभाजित करने या उसे किसी अन्य सम्पति के साथ मिलाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
11. आवंटी प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पति को किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखकर ऋण प्राप्त कर सकता है। जिसमें प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु रजिस्ट्री या रजिस्ट्री फ्रीहोल्ड से पूर्व प्रथम प्रभार प्राधिकरण में सुरक्षित रहेगा।
12. भूखण्ड / व्यवसायिक भूखण्ड / दुकान / फ्लैट का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त अनुरक्षण का दायित्व स्वयं आवंटी का होगा ।
13. आवंटित भूखण्ड / व्यवसायिक भूखण्ड / दुकान / फ्लैट में निर्माण उपरान्त विद्युत एवं जल संयोजन का कनैक्सन आवंटी को स्वयं कराना होगा।
14. आवंटन पश्चात किसी आवंटी के मृत्यु होने के उपरान्त उसके वारिसों के नाम पर नियमानुसार वारिसान प्रमाण पत्र / उत्तरजीवी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त नामान्तरण किया जा सकेगा।
15. भूखण्ड / दुकान / फ्लैट की रजिस्ट्री हेतु नियमानुसार स्टाम्प तथा रजिस्ट्री प्रभार आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
16. किसी भी प्रकार वाद विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल देहरादून ही होगा तथा उसी प्रकार उपभोक्ता फोरम न्यायालय, देहरादून अधिकृत होगा जिसके लिए आवंटी वचनबद्ध होगा।
17. यदि किसी भी न्यायालय के स्थगन आदेश या अपरिहार्य परिस्थितियों के अधीन प्राधिकरण निहित अवधि के अन्दर सम्पति का कब्जा देन में असफल होता है तो उस स्थिति में उस अवधि (जब तक स्थगन आदेश प्रभावी था या अपरिहार्य परिस्थिति विद्यमान थी) का प्रतिकर / ब्याज की धनराशि देने के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
18. उपरोक्त सभी शर्तों में उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
19. प्राधिकरण की बेवसाईट mddaonline.in पर भूखण्ड Type-G से सम्बन्धित समस्त जानकारी उपलब्ध है।
20. प्राधिकरण द्वारा निर्मित ट्रॉसपोर्टनगर के विकसित भूखण्डों के अतिरिक्त अन्य आवासीय योजनाओं में निर्मित भूखण्ड / दुकान / फ्लैट हेतु प्राधिकरण से समय–समय पर निर्मित उक्त योजनाओं के ब्रोशर की शर्ते ही आवंटी को मान्य होगी।
21. उपरोक्त तालिका के अनुसार रिक्त फ्लैटों कें पंजीकरण की प्रकिया आई0एस0बी0टी0 कैम्प कार्यालय में होगी। इसके अतिरिक्त अन्य रिक्त सम्पत्तियों के पंजीकरण का कार्य एम0डी0डी0ए0 कार्यालय ट्रॉसपोर्टनगर सहारनपुर रोड़ में होगा।
22. भूखण्ड हेतु आंवटन की शर्ते विन्दु संख्या–4 के अनुरूप मान्य होगी। शेष नियम वर्तमान मे प्रचलित नियमों एवं योजनाओं के ब्रोसर के अनुसार होगा।

शपथ पत्र

ट्रान्सपोर्ट नगर फेस–2,देहरादून।

(निम्नलिखित शपथपत्र रू0 10/–के स्टाम्प पत्र पर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराकर पंजीकरण फार्म के साथ जमा कराना होगा।)

समक्ष– सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।

मै.............................. पुत्र/पुत्री/पत्नी..निवासी .... निम्नलिखित शपथ लेता/लेती हूँ।

1– मेरे अथवा मेरे परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी व अवयस्क बच्चों या आश्रित बच्चों) के द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर फेस–2,योजना में दुकान हेतु पंजीकरण कराया गया है।

2– मेरी आयु दिनांक ....को ....वर्ष है, एवं मैं भारत का/की नागरिक हूँ।

3– मेरी /मेरे परिवार की वार्षिक आय वर्ष 2021–22 में रू0 .... है।

4– मैने आवेदन पत्र के साथ ही उल्लिखित शर्तो आदि को स्पष्ट रूप से समझ लिया है तथा मै उनके पालन के लिए बचनबृद्ध हूं।

5– मेरे द्वारा आंवटित सम्पत्ति का भू– उपयोग परिवर्तित नही किया जायेगा। आवंटित सम्पत्ति उसी उद्धेश्य के लिए प्रयोग में लायी जायेगी जिसके लिए आंवटित की जायेगी।

6– मुझे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आंवटित दुकान/भू–भाग/भवन/डूपलेक्स के लीज होल्ड से फ्री–होल्ड/विकय विलेख मे परिवर्तित किये जाने की सभी शर्ते व नियम मान्य है।

7– मैं/हम समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूगां/करूंगी। यदि मेरे/हमारे द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण नियमानुसार आवंटन निरस्त करता है तो मुझे/हमारे का कोई आपत्ति नहीं होगी।

8– मै समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

9– वाद विवाद हेतु देहरादून स्थित न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा जिसके लिये आवेदक/आवंटी बचनबद्व होगा।

शपथ कर्ता के हस्ताक्षर

धोषणाः– मै एतदद्वारा शपथपूर्वक बयान करता /करती हूं कि मेरे द्वारा उपर्युक्त कमांक 1 से 9 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी सत्य छिपाया नही गया है।

शपथ कर्ता के हस्ताक्षर